सं. एफ. 2-12/1996-परिसर/एमपीसीसी
भारत सरकार
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति विभाग

नई दिल्ली
दिनांक ....

सेवा में,

लेखाधिकारी
वेतन एवं लेखा कार्यालय (अनुभाग)
संस्कृति मंत्रालय
नई दिल्ली।

विषय :- छज्जूबाग, पटना में ''राज्यों में बहु-उद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों, जिनमें बच्चों के लिए परिसर भी शामिल हैं, की स्थापना'' (योजना) के लिए वित्तीय सहायता की केन्द्रीय स्कीम।

महोदय,

मुझे मंत्रालय के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार छज्जूबाग, पटना (बिहार) में बहु-उद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसर की स्थापना के लिए ऊपर उल्लिखित स्कीम के तहत् अनुदान के रूप में निदेशक, भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना को 50,00,000/- रू. (पचास लाख रुपए मात्र) की दूसरी किस्त के भुगतान हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. अनुदान की धनराशि आहरण एवं संवितरण अधिकारी (अनुदान), संस्कृति मंत्रालय द्वारा निकाली जाएगी तथा संस्थान को इसका भुगतान रेखित चैक/डीडी के माध्यम से किया जाएगा।

3. किया जाने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 2205 - मांग सं. 20, कोड सं. 00.102.04.30.31 - एम पी सी सी स्कीम (योजना) 2005-06 के नामे डाला जाएगा।

4. इसे मंत्रालयों/विभाग को प्रदत्त परिवर्द्धित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 18.10.2005 की डायरी सं.2776/2005/आईएफडी के जरिए आंतरिक वित्तीय प्रभाग की और दिनांक 21.10.2005 की डायरी सं.841/2005/पीएंडबी के जरिए पी एंड बी की सहमति से जारी किया जाता है।

5. सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् लेखा परीक्षित, संस्थान के सम्पूर्ण लेखाओं तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी, यदि कोई है, के साथ अनुदान की समग्र धनराशि के उपयोग प्रमाण-पत्र सहित लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण को वित्तीय वर्ष के समापन के 12 महीनों के भीतर संस्कृति विभाग को प्रस्तुत किया जाए। कोई उपयोग प्रमाण-पत्र लम्बित नहीं है।

6. छज्जूबाग, पटना में एम पी सी सी द्वारा तैयार परिसम्पत्तियों और लेखाओं का रजिस्टर संस्कृति मंत्रालय के अधिकारी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जॉंच के लिए प्रस्तुत रहेगा।

7. संस्थान केन्द्र सरकार के अनुदानों में से पूर्णतः अथवा अंशतः प्राप्त सभी परिसम्पत्तियों के लिए निर्धारित स्वरूप में एक पंजिका तैयार करेगा तथा भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उन प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए उनकी व्यवस्था अथवा प्रयोग नहीं किया जाएगा जिनके लिए अनुदान दिया गया है।

भवदीय

( )
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. निदेशक, भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना (बिहार)। आपसे अनुरोध है कि यहाँ स्वीकृत अनुदान के सम्बंध में, रसीदी टिकट पर मूल रूप में संलग्न प्रपत्र में दो प्रतियों में एक प्राप्तिका प्रस्तुत करें तथा शीघ्रतापूर्वक हमें भेजें।

निम्नलिखित दस्तावेज भी भेजे जाएँ :-
(क) विधिवत् निष्पादित बंधपत्र।
(ख) कार्यकारी समिति द्वारा पारित एक संकल्प जिसमें निबंधन एवं शर्तों (प्रति संलग्न) को स्वीकार किया गया हो तथा छज्जूबाग, पटना-800001 में एम पी सी सी की ओर से सभी कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सचिव/अध्यक्ष को अधिकृत किया गया हो।
(ग) 50,00,000/- रु. (पचास लाख रुपए मात्र) की पहले से टिकट-युक्त रसीद।

2. सहायता अनुदान, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली। आवश्यक कार्यवाही हेतु बिलों (दो-दो प्रतियों में) के साथ प्रतियों की अपेक्षित संख्या भी अग्रेषित की जाती है। संस्थान को उपरोक्त पते पर धनराशि का भुगतान किया जाए।
3. निदेशक, कला और संस्कृति विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. महालेखाकार
5. आई एफ डी
6. पी एंड बी
7. गार्ड फाइल

( )
अवर सचिव, भारत सरकार